न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : उज्ज्वल राठौड़ I.A.S.

प्रकरण संख्या –23 / 2018 (आव0व0अधि0)

GCMS NO. 2018/00115

सरकार जर्ये श्री अमित शर्मा प्रवर्तन निरीक्षक, कार्यालय जिला रसद अधिकारी कोटा।

––प्रार्थी.

बनाम

1. श्री दीपक ज्ञानानी पुत्र श्री शोभराज ज्ञानानी निवासी 50, अमृत कलश बजरंग नगर, कोटा
मैसर्स न्यू जय हिन्द हॉटल, छावनी चौराहा कोटा ।

––अप्रार्थीगण.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक 30.12.2020

1. संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि श्री अमित शर्मा, प्रवर्तन निरीक्षक कार्यालय जिला रसद अधिकारी कोटा द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए के तहत इस आशय का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्र कमांक एफ 17(2)खा.वि. / न्याय / 2000 जयपुर दिनांक 19.2.2018 की अनुपालना बाबत दल में सम्मिलित सदस्य श्रीमति संध्या सिन्हा प्रवर्तन अधिकारी, श्री अरविन्द आचार्य, प्रवर्तन निरीक्षक एवं श्री अमित शर्मा प्रवर्तन निरीक्षक जांच हेतु दिनांक 9.4.2018 मैसर्स न्यू जय हिन्द होटल, छावनी चौराहा कोटा के यहां पहुंचे । मौके पर मालिक श्री दीपक ज्ञानानी पुत्र श्री शोभराज ज्ञानानी निवासी 50 अमृत कलश बजरंग नगर कोटा उपस्थित मिले जहां पर घरेलू गैस सिलेण्डर्स के अवैध संग्रहण की जांच की गई । वक्त जांच इस प्रकार स्थिति पाई गई कि मैसर्स न्यू जय हिन्द होटल, छावनी चौराहा, कोटा पर श्री बलवीर सिंह पुत्र श्री दीपक ज्ञानानी पुत्र श्री शोभराज ज्ञानानी निवासी 50 अमृत कलश बजरंग नगर कोटा द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर्स का अवैध रूप से संग्रहण किया जाना पाया गया ।

घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग भोजन बनाकर कीमतन विकय की जा रही थी ।

इस प्रकार मौके पर पाये गये निम्नांकित विवरण के घरेलू गैस सिलेण्डर्स का अवैध संग्रहण करने के कारण द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3(1) आदि धाराओं का उल्लंघन पाये जाने से मौके से जप्त किया जाकर मौके पर ही उपस्थित श्री संजय आहूजा पुत्र

जिला कलेक्टर
कोटा

श्री भगवानदास कोटा, कोटा कॉपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी गैस एजेन्सी, कोटा को सुपुर्दगी में शर्तो के अनुसार दिया गया । सिलेण्डरों का विवरण निम्नानुसार है :-

क.सं.	तेल कम्पनी का नाम	गैस सिलेण्डर्स के एस.आर.नं.	टेयर वेट (किलोग्राम)	ग्रॉस वेट (किलोग्राम)	नेट वेट (किलोग्राम)
1	B.P.C.L	2380305	15.9	16.0	0.1
2	B.P.C.L	327224	15.3	18.0	12.7

9. इस प्रकार उक्त मैसर्स न्यू जय हिन्द होटल, छावनी चौराहा, कोटा श्री दीपक ज्ञानानी पुत्र श्री शोभराज ज्ञानानी निवासी 50 अमृत कलश बजरंग नगर, द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अनुदानित गैस सिलेण्डर्स का अवैध रूप से संग्रहण कर द्रवित पैट्रोलियम (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश 2000 के खण्ड 3(1)(ए),(बी)का स्पष्ट उल्लंघन किया है । अतः उक्तानुसार अधिग्रहित कुल 02 घरेलू उपयोग के सिलेण्डर्स को राजसात करने के आदेश प्रदान फरमावें ।

10. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया, अप्रार्थी को नोटिस बाद तामिल प्राप्त । अप्रार्थी की ओर से नोटिस का जवाब जर्ये अधिवक्ता पेश कर कथन किया कि प्रार्थी के नाम पर सुलभ गैस एजेंसी से एस वी क्रमांक 4064798525 पर जारी हो रहा है, उक्त कनेक्शन पर प्रार्थी को दो सिलेण्डर जारी किये हुए है, उक्त कनेक्शन घरेलू है, ओर उक्त कनेक्शन पर प्रार्थी गैस सिलेण्डरों का उपयोग उपभोग घरेलू रसोई में ही करता है । उक्त गैस कनेक्शन पर प्रार्थी के दौनों गैस सिलेण्डर खाली हो जाने से उनको भरवाने के लिए प्रार्थी ने अपनी दुकान पर रखे हुए थे, क्योंकि दुकान पर आसानी से सिलेण्डर डिलेवरी वाला आ जा सकता है, उसको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती है, इसलिए प्रार्थी हमेशा अपनी दुकान पर ही खाली गैस सिलेण्डर देकर वहीं से डिलेवरी लेता है ओर उस दिन भी दौनों गैस सिलेण्डर खाली होने से उनको जमा करवाकर भरे हुए सिलेण्डर प्राप्त करने हेतु अपनी दुकान पर रखे हुए थे, लेकिन उसी समय चेकिंग आ जाने से उनके द्वारा प्रार्थी को बिना सुने बिना सुनवाई का मौका दिये बगेर ही उक्त सिलेण्डरों को जब्त कर लिया ओर उक्त कारण बताओ नोटिस बिना प्रार्थी को सुनवाई का मौका दिये बगेर ही एक पक्षीय रूप से प्रदान कर दिया, वास्तविकता यह है कि प्रार्थी निर्दोश है, उक्त गैस सिलेण्डर उसके गैस कनेक्शन के ही है जो खाली हो जाने पर उनको भरवाने के लिए अपनी दुकान पर अपनी सुविधा के अनुरूप रखे हुए थे । प्रार्थी उक्त गैस सिलेण्डरों का कोई कॉमर्शियल उपयोग नहीं करता है, प्रार्थी को उक्त गैस सिलेण्डरों की सख्त आवश्यकता है, क्योंकि प्रार्थी के पास अपने घर पर खाना बनाने हेतु अन्य कोई सुविधा नहीं है, प्रार्थी के सिलेण्डर जब्त कर लिये जाने पर घर पर खाना बनाने में भी काफी परेशानी हो रही है । अतः उक्त कार्यवाही निरस्त की जावें ओर उक्त जब्तशुदा सिलेण्डरों को प्रार्थी को सुपुर्दगी में दिये जाने की कृपा करें ।

11. जवाब प्रस्तुत होने पर पेरोकार सरकार व वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

12. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया । खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक एफ 17(2)खा. वि./न्याय/2000 जयपुर दिनांक 19.2.2018 की अनुपालना बाबत जांच दल द्वारा दिनांक 9.4.2018 को मैसर्स न्यू जय हिन्द होटल, छावनी चौराहा कोटा के यहां जांच हेतु पहुंचे । मौके पर मालिक श्री दीपक ज्ञानानी पुत्र श्री शोभराज ज्ञानानी निवासी 50 अमृत कलश बजरंग नगर कोटा उपस्थित मिले जहां पर घरेलू गैस

जिला कलेक्टर
कोटा

सिलेण्डर्स के अवैध संग्रहण की जांच की गई । वक्त जांच मैसर्स न्यू जय हिन्द होटल, छावनी चौराहा, कोटा पर श्री बलवीर सिंह पुत्र श्री दीपक ज्ञानानी पुत्र श्री शोभराज ज्ञानानी निवासी 50 अमृत कलश बजरंग नगर कोटा द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर्स का अवैध रूप से संग्रहण कॉमर्शियल उपयोग में लेना पाया गया । इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा द्रवित पैट्रोलियम (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश 2000 के खण्ड 3(1)(ए),(बी)का स्पष्ट उल्लंघन किया है जिस कारण मौके से 02 घरेलू गैस सिलेण्डर जब्त किये गये ।

13. अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत सीज्ड माल 02 (दो) घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात (Confiscation) किये जाने के आदेश दिये जाते है । जिला रसद अधिकारी कोटा को आदेश की प्रति पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तामील तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर की जावे।

14. निर्णय आज दिनांक 30.12.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उज्ज्वल राठौड़)
जिला कलेक्टर, कोटा

जिला कलेक्टर
कोटा